

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
शाहपुर

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम डेवरी की
जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 54, 122
में मेरा नाम भोलाराम जाट दर्ज है जबकि वास्तविक
नाम भोलाराम नि. रामालाल जाट है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2024-347 ✓

दिनांक:-

प्रार्थी

(.....) नि. भोलाराम

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम डेवरी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के
खाता संख्या 54, 122 में प्रार्थी का नाम भोलाराम जाट दर्ज है। जबकि मुताबिक
संलग्न आधार कार्ड जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम भोलाराम / रामालाल जाट है। जो
संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0 भोलाराम

24/6/22

पटवारी

24/6/22
पटवारी
इंद्र राम चौहान
पटवारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र पर रिपोर्ट पटवारी भोलाराम भू0अ0नि0 भोलाराम एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के
आधार पर ग्राम डेवरी की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 54, 122
में प्रार्थी का नाम भोलाराम जाट के बजाय भोलाराम / रामालाल जाट किये जाने हेतु अभिशांषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम डेवरी जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

खाता संख्या 54, 122 में दर्ज प्रार्थी का नाम भोलाराम जाट के स्थान पर भोलाराम / रामालाल जाट
संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा(भील0)

28/6/22
28/6/22